सहायक कलक्टर माण्डल

22/11/22 उभय पक्ष उपस्थित ... ... राजकीय कार्य से बाहर ... पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली 13/12/22 को पेश हो।

✓
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

13/12/22 पत्रावली पेश ... ... द्वारा न्यायिक कार्य ... रखने ... दिनांक 27/12/22 को पेश हो।

27/12/22 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही। इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थिया का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

ीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

ा संख्या– 216/22 प्रा0पत्र

श्रीमती ऐवी प0 लेगा बलाई निवासी – सिडियास तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

बालु S/o नारायण ब्राह्मण निवासी - मोड का निम्बाहेडा तहसील आसीन्द
नारायण S/o देबीलाल बलाई निवासी - सिडियास तहसील - माण्डल
1. राज्य जरिए तहसीलदार म0 माण्डल तहसील माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक – 27.12.22

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन के ग्राम सिडियास पटवार हल्का सिडियास तहसील माण्डल में उसके युक्त खाते की आराजी न. 2016/1950 कुल किता 01 रकबा 0.6323 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये ा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावें।

ार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.10.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ै। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अत इन तथ्यो को देखते कि की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

ा प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सिडियास पटवार डियास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी न. 2016/1950 ता 01 रकबा 0.6323 हेक्टयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी ने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख भगवानपुरा को 500/– रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने रान् की मौजूदगी मे मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा